नसीराबाद   FORM NO III   अं०स्वी० | विमाग   APP-A
फर्द अहकाम   24/9/2021   Crim-1
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

~~संतोष पत्नि गोपाल जाति जाट~~ बनाम ~~किशन लाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट~~

~~नि. ग्राम जसवंतपुरा~~   ~~नि. ग्राम झबरकिया (लोहरवाड़ा) व अन्य~~

किस्म मुकदमा———————————नम्बर——————————201 सन् 20 21   (नसीराबाद)

~~2021~~ 201 / 2021

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
17.9.21	सीताराम रावत ~~यह~~ श्री अपील श्री सीताराम रावत एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 06.01.2021, प्रकरण संख्या 66./2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2021 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
24.9.21	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 4560 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.83,खसरा नम्बर 636 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 641/6228 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 648/6418 रकबा 0.60 है. जो ग्राम झबरकिया(लोहरवाड़ा) में स्थित है जिसकी अपीलार्थी/प्रार्थीया वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज चली आ रही है तथा लगातार निरन्तर काबिज काश्त रहते हुए मौके पर ज्वार की फसल काश्त की हुई है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिए एवं फसल को नष्ट नहीं करने एवं फसल को काटकर नहीं ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं प्रार्थीया के पक्ष में भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी बाबत् पेश कर कथन गया कि प्रार्थीया के पक्ष में भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर प्रार्थीया के खातेदारी भूमि की सुरक्षा की जावें एवं प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में दखल, व्यवधान कारित नहीं करें एवं अवरोध कारित नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 का दर्ज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 31.08.2021 तारीख पेशी दी गयी जिस पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अन्दरटेकिंग दी गयी जिस पर अप्रार्थीगण को तामील होने पर दिनांक 03.09.2021 तारीख पेशी दी गयी किन्तु प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया तत्पश्चात दिनांक 06.09.2021 को भी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया एवं प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन रिसीवरी खारिज का आदेश दिनांक 06.09.2021 को पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य फौजदारी एवं राजस्व वाद विचाराधीन है तथा मौके पर कोई भी अप्रिय घटना कारित हो सकती है क्योंकि पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती बलपूर्वक प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में हल चला दिया तथा अवैध कब्जा करने की कोशिश की गयी के पश्चात प्रार्थी/अपीलांट आमादा व अग्रसर हैं तथा विवादित भूमि को रहन, बेचान, हस्तातंरण करन की धमकी दी गयी है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे लगातार	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

201/2021 संतोष बनाम किशनलाल

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीताराम गण्दर एड0 श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

उपरोक्त कृत्यों से प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति कारित हो रही है तथा विवादित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपील प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ग्राम झबरकिया (लोहरवाड़ा) में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 4560 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.83,खसरा नम्बर 636 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 641/6228 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 648/6418 रकबा 0.60 है. की मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावे तथा उक्त भूमि में ज्वार की फसल को नहीं काटने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत है। प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित आदेश 40 नियम 01 जा. दी. बाबत् रिसीवरी नियुक्त किये जाने बाबत् का गुणावगुण पर निर्णित करें। विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढे इसलिए आगामी पेशी दिनांक 01.10.2021 तक विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित आदेश 40 नियम 01 जा.दी. बाबत् रिसीवरी नियुक्त किये जाने बाबत् का गुणावगुण पर शीघ्रातीशीघ्र निस्तारण करें। विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढे इसलिए आगामी पेशी दिनांक 01.10. 2021 तक विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर